रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 7, 1971/चैत्र 17, 1893

No. 51] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 7, 1971/CHAITRA 17, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 7th April 1971

SUBJECT :—*Import policy for Newsprint—Printing and writing paper (excluding laid marked paper) which contains mechanical wood pulp amounting to not less than 70% of fibre contents—(S. No. 44/V).—for the year April 71-March' 72.*

No. 36-ITC (PN)/71.—The import policy for Newsprint (S. No. 44/V) for the year April 1971—March 1972 is given in Annexures I to V to his Public Notice and shall be applicable with effect from the 1st April 1971.

ANNEXURE

Part & S. No. of I.T.C. Schedule	Description	Licensing Authority	Policy for Established Importers.	Validity of licence.	Remarks.
1	2	3	4	5	6
44 V	White printing paper (excluding laid marked paper) which contains mechanical wood pulp amounting to not less than 70% of the fibre content.	CCI&E	Nil.	Twelve months.	I. Licences issued for newsprint will also be valid for import of water-lined newsprint provided it contains mechanical wood pulp amounting to not less than 70% of the fibre content and its weight is not less than 51—52+4% grammes per square metre II. A. U. for publishers and/or printers of newspapers and periodicals. III. A. U. applications in 'J' Form from publishers and/or printers of newspapers and periodicals for newsprint and art paper should be submitted, in duplicate and complete in all respects, through the Registrar of Newspapers for India, Ministry of Information & Broadcasting & Communications, New Delhi. IV. Applications for import licences for newsprint and art paper should reach the Registrar of Newspapers for India, New Delhi, as early as possible, but not later than the 1st September 1971. V. The basic entitlement of individual newspapers/periodicals for newsprint will be determined by the Registrar of Newspapers for India, New Delhi, on the basis of its average circulation, average number of pages and the average page-area actually published in 1970-71 *OR* on the basis of entitlement as admissible in terms of Newsprint Allocation Policy for 1970-71 [announced *vide* Public Notice No. 51-ITC(PN)/70, dated the 7th April, 1970], *plus* increases admissible in terms of Remark VII of the said Public Notice, whichever is less.

VI. *The entitlement of newsprint will be met by issue of import licence(s) or authorisation(s) in favour of applicants in terms of para V above in the following manner:—*

Annual entitlement.	Quantity to be allowed in imported newsprint	Quantity to be allowed in indigenous newsprint manufactured by Nepa Mills	Quantity of: To be authorised in direct licence against free resources	Quantity of: To be authorised against negligible imports.
1	2	3	4	5
Standard newsprint and indigenous newsprint				
Dailies; (including their Sunday editions)				
(a) Less than 100 tonnes. . . .	100%	Nil.	100%	Nil.
(b) 100 tonnes or more but less than 400 tonnes.	100%	Nil.	TO BE DETERMINED BY THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS FOR INDIA.	
(c) 400 tonnes or above but less than 1000 tonnes.	90%	10%		
(d) 1000 tonnes or above but less than 2000 tonnes..	85%	15%		
(e) 2000 tonnes and above. . .	80%	20%		
Periodicals :				
(a Less than 100 tonnes. . . .	100%	Nil.	100%	Nil.
(b) Over 100 tonnes.	100%	Nil.	TO BE DETERMINED BY THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS FOR INDIA.	
Glazed Newsprints.				
All entitlement	100%	Nil.	100%	Nil.

Notes.—

Standard newsprint licensed from 'free resources' will have to be imported by newspaper against contracts entered into with specific suppliers in foreign countries by the State Trading Corporation of India Ltd. Since the suppliers do not entertain orders in lots of less than 25·00 tonnes, newspapers with entitlement less than 25·00 tonnes would be granted a direct licence if they arrange imports through an established importer and specify the same in the 'J' Form. Otherwise, they would be granted authorisation on S.T.C. of India Ltd.

2. (a) Glazed/Rotogravure newsprint would be allotted to glazed paper periodicals at level of their glazed/rotogravure entitlement in 1970-71, the balance of their entitlement to be released in unglazed imported newsprint. Addition of glazed rotogravure news print would made to such periodicals also, which have not been granted glazed newsprint or Art paper in the past, for 4 pages in accordance with their basic entitlement, as fixed under Remark V.

(b) Full entitlement to periodicals, using 55 grammes variety would be released. The periodicals using 60 grammes would be released full entitlement in glazed, when entitlement is less than 100 tonnes, to others glazed (60 grammes) & rotogravure (55 grammes) would be released in equal proportion.

3. Allotment to all categories would be made in reels only. An additional quatity for conversion of reels into sheets at the rate of 10% in respect of standard newsprint would be granted to newspapers with entitlement upto 25·00 tonnes.

4. Nepa Newsprint in lots of less than 10·00 tonnes will normally not be allotted.

5 Allocation of newsprint in accordance with the entitlement as fixed is subject to availability of foreign exchange or newsprint or either or both. In case either or both fall short, appropriate cuts will be made

6 The entitlement for standard newsprint as also Nepa newsprint would be worked out on 53 grammes substance. Additional 10% on the entitlement of Nepa newsprint so worked out would be released as compensation for higher grammage.

7. On application received after 1st September, 1971, cut would be made on entitlement as follows :—

(i) applications received upto 31-12-1971	10%
(ii) applications received beyond 31-12-1971 upto 31-3-72 .	20%

VII *Increases*—Dailies and periodicals would be allowed increases over the circulation on which the basic entitlement is fixed under Remark (V) on application in the following manners—

(a) *Dailies* —

(i) Dailies with circulation upto 15,000 copies.	20% increase over their basic entitlement. Increase would be granted
(ii) Dailies with circulation of more than 15,000 copies and upto a circulation of 30,000 copies.	17 1/2% increase over their basic entitlement Increase would be granted in imported newsprint.
(iii) Dailies with circulation of more than 30,000 copies and upto a circulation of 50,000 copies	15% increase over their basic entitlement. Increase would be granted in imported newsprint.
*(iv) Dailies with circulation of more than 50,000 copies and upto 1,00,000 copies.	10% increase over their basic entitlement. increase would be granted in imported, newsprint.
(v) Dailies with circulation of more than 1,00,000 copies.	5% increase over their basic entitlement. 2 1/2% would be granted in imported newsprint and the remaining 2 1/2% in Nepa newsprint.

(b) *Periodicals*

(i) Periodicals with circulation upto 30,000 copies	20% increase over their basic entitlement. Increase would be granted in imported newsprint.
(ii) Priodicals with circulation or more than 30,000 copies and upto 75,000 copies	15% increase over their basic entitlement Increase would be granted in imported newsprint.
(iii) Periodicals with circulation of more than 75,000 copies and upto 1,00,000 copies	10% increase over their basic entitlement Increase would be granted in imported newsprint.
(iv) Periodicals with circulation of more than 1,00,000 copies.	5% increase over their basic entitlement. Increase would be granted in imported newsprint.

Notes:—

1. Page-increase would be granted to weeklies on specific request in lieu of the increases admissible to them on the above basis (VII)(b), by 2 pages in standard upto 16 pages in standard size over the number of pages and size on which their basic entitlement in terms of Remark (V) is fixed.

2. Increases to glazed user periodicals would be granted in unglazed imported newsprint.

*Increase would be granted to the existing dailies and periodicls over the increases mentioned in (a) and (b) above, if even by the grant of those increases their entitlement is less than the entitlement to which they would be admissible if treated as a new daily/periodcal under Remark (IX) below.

VIII. With the exception of allotment mentioned in Remark VII, no allocation of newsprint will be made to newspapers/periodicals on account of increase in their circulation, number of pages, page-area and periodicity over their entitlement as fixed in Remark V. However, within the authorised quantity of newsprint authorised for the licensing period, each newspaper/periodical will be free to adjust its circulation, number of pages and page-area to meet its individual requirements. The 'common ownership units' will not be permitted to adjust the authorised quota of the Unit between their various publications, even when the publications bear the same title/name.

Note :—As provided, in Clause (3), Sub-clause (3) of the Newsprint Control Order, 1962, Newspaper(s)/periodical(s) shall not consume or use newsprint, in exceess of the quantity alloted under Remark V and VII.

IX a) —*Clearance regarding availability of newsprint for new periodicals and newspapers.*

Publishers of new daily newspapers and periodicals should obtain clearance regarding availability of newsprint from the Registrar of Newspapers for India, before commencing publication. Information as per Annexure IV shall be furnished while applying for clearance under the Allocation Policy.

(b) *New Dailies*

New daily newspapers will be allowed an initial quota to build up an average circulation upto 10,000 copies of 8 pages as standard size (393·75 sq. inches) per publishing day during the first three months, after commencement of publications. For first three months, imported newsprint from State Trading Corporation's stocks would be released. After three months of regular publication, the new dailies will be required to produce evidence (Chartered Accountant's Certificate in the form given in Annexure II to this Public Notice), of the average circulation achieved and the average page-area and number of pages printed during the first three months, and their entitlement would be fixed on the average circulation actually achieved and the average number of pages and page-area actually printed in the first three months subject to a maximum of 15,000 copies of 8 pages of standard size.

(c) *New Weeklies, Tri-Weeklies, Bi-Weeklies-Fortnightlies and Monthlies.*

New Weeklies, tri-weeklies, bi-weeklies, fortnightlies and monthlies will be allowed an intial quota to build up an average circulation upto 10,000 copies of 8 pages of a standard size (393·75 sq. inches) per publishing day during the first three months, after commencement of publication For first three months, imported newsprint would be released. After three months of regular publication, the new weeklies, tri-weeklies, bi-weeklies, fortnightlies and monthlies will be required to produce evidence (Chartered Accountant's Certificate in the form given in Annexure II to this Public Notice), to show the average circulation achieved and the average page-area and number of pages printed during the first three months and their entitlement would be fixed on the average circulation actually acnieved and the average number of pages and page-area actually printed in the first three months, subject to a maximum of 15,000 copies and 8 pages of standard size, except. Fortnightlies and monthlies to whom quota will be admissible upto a maximum of 15,000 copies and 16 pages of standard size.

(d) *New Periodicals other than Weeklies, Tri-Weeklis Bi-Weeklies, Fortnightlies and Monthlies*

No quota would be allotted to such periodicals for the first three months. After three months of regular publication, publishers of such priodicals should submit an application, in Actual Users' Form alongwith information contained in Annexure IV and a Chartered Accountant's Certificate showing the average circulation achieved and the average page-area and number of pages printed durig the first three months. Quota would be allotted to new periodicals, for the rest of the licensing period for the average circulation actually achieved and the average number of pages and page-area actually printed during the first three months subject to a maximum of 15,000 copies and 16 pages of standard size for these periodicals.

(e) The existing newspapers which did not obtain clearance for the use of newsprint or licence/authorisation in 1970-71 will be treated as in para IX(a), (b) (c) and (d) above.

X. No newsprint would be made available for additional newspaper(s) sponsored/acquired by Common Ownership Unit or would they be allowed to bring out new newspaper(s)/periodical(s) from their authorised quota.

Note : 'Common Ownership Unit' for the purpose of this Notice means a newspaper establishment or concern owning two or more news interest newspapers, including at least one daily, irespective of the centre (s) of publication and language(s) of such newspapers.

XI. The following categories of periodicals will not be entitled to the allocation of newsprint notwithstanding that they are classified as newspapers:—

(a) Journals published primarily to promote sale of goods of services;

(b) House journals/magazines brought out by individuals/firms/industrial concerns;

(c) Price list and catalogues;

(d) Publications intended for free distribution;

(e) Fiction;

(f) Racing Guides;

(g) School/College magazines, and

(h) Teaching journals/Teaching guides.

XII. If any newspaper/periodical had not fully utilised the quantity allocated in 1970-71 including the increases and Mid-term-Election quota sanctioned in that period, the unutilised quantity shall be adjusted from its entitlement for 1971-72. To enable the Registrar of Newspapers for India to determine the consumption of newsprint in 1970-71, the particulars (month-wise) of circulation, pages, page-area and number of publishing days in 1970-71 should be furnished by the newspapers/periodicals in the form given in Annexure II to this Public Notice. The consumption in 1970-71 would be worked out on the actual number of days published in the period. The particulars furnished in Annexure II referred to above should be certified by a Chartered Accountant. The Chartered Account's Certificate need not be submitted where the circulation of a newspaper/periodical is less than 2,000 copies per publishing day.

Note:—Allotment made in 1970-71 under schemes for export promotion etc would also be taken into account for determining quantity utilised by the newspapers in 1970-71.

XIII. The number of copies distributed free, unsold returns or any other copies printed but neither sold nor distributed free would be taken into consideration for purpose of allotment/consumption of newsprint, provided these represent a reasonable percentage of the print-order and not in any case exceeding the following limits:—

Circulation	Dailies tri-and bi-weeklies	Weeklies and fort-nightlies.	Monthlies quarterlies and others.
Upto 2,500	10%	20%	25%
Between 2,500 and 5,000	10%	15%	20%
Between 5,000 and 10,000	10%	10%	15%
Above 10,000	5%	5%	10%

XIV Where the newspapers/periodicals have not supplied copies of their issues stated to be published in the year 1970-71, as required under section 11B of the Press & Registration of Book Act, 1867, read with Rule 5 of Registration of Newspapers (Control) Rules, 1956, the consumption worked out *vide* Remark XII above, would be subjected to a cut as follows:—

Regularity of more than 50% and less than 75%	25%
Regularity of more than 25% and less than 50%	50%

No quota will ordinarily be released to newspapers whose regularitty is less than 25%

Note : The publishers of newspapers and periodicals may furnish the regularity certificates (in original) for the period April 1970-March 1971, obtained either from the concerned P.I.B. Office or RNI's Office at Simla (as the case may be) alongwith their formal A.U. application to avoid delay in the allotment of newsprint quota.

XV. Small newspapers whose entitlement for newsprint is, and who apply for a licence for less than 40·00 tonnes per annum shall be exempted from payment of import licence application fee and production of Income-tax Verification Number. This exemption will not cover applications for art paper quota.

XVI. If any actual user is not in a position to import newsprint or art paper against the licence issued the Actual User may apply for a 'letter of authority' in favour of the party, through whom it is desired to effect import, provided, such party holds quota certificate(s) for newsprint, or are the sole agents of the foreign suppliers.

XVII.—*Art Paper*:

(a) Licences for art paper for cover pages and/or inside pages will be issued only to those periodicals which were granted licences for art paper for cover pages and/or inside pages in 1970-71

(b) Where art paper is licensed for cover pages for periodicals printed on newsprint the grammage per square meter will not exceed 100 grammes for periodicals having upto 100 pages per publishing day and 135 grammes in case where the number of pages exceeds 100. A higher grammes may be allowed, on the merits of each case for cover pages of perjodicals printed entirely on art-paper. The decision of Registrar of Newspapers for India in this behalf shall be final.

(c) Entitlement for art paper for cover pages and/or inside pages will be worked out on the basis of the number of cover and/or inside pages published on art paper and average circulation during 1970-71, subject to maximum of allocation made in 1970-71 in respect of imported and indigenous art paper. A Chartered Accountant's Certificate in the form given in Annexure—III to this Public Notice should be furished in addition to Chartered Accountant's Certificate in the form given in Annexure—II to this Public Notice.

XVIII. Licences for art paper will be issued on annual basis, subject to the conditions prescribed for annual licences in the Red Book for the year April 1971—March 1972. Licence for glazed and standard newsprint will also be issued on annual basis. These licences will, however, be subject to the condition that they can be utilised only upto 50% of the quantity and value covered by them upto the 30th September, 1971. It will not be necessary for the actual users to return licences for glazed and standard newsprint for endorsement in respet of utilisation of the balance 50%. Licences, issued for standard and glazed newsprint for an annual entitlement upto Rs 20,000- in terms of value can be utilised in one lot at any time within their validity and will not be subject to the condition regarding utilisation of 50% only upto the 30th September, 1971.

XIX. For the purpose of this Public Notice, the Registrar of Newspapers for India may make such marginal adjustments as may be necessary.

ANNEXURE II

Form of Chartered Accountant's Certificate regarding Ciculation etc. for the period April 1971.

(To be typed on the letter-head of the CHARTERED ACCOUNTANT).

1 Name of Newspaper/Periodical
2 Place of Publication.
3 Language
4 Periodicity

	April 70	May 70	June 70	July 70	August 70	Sept.	Oct. 70	Nov. 70	Dec. 70	Jan. 71	Feb 71	March 71	Average for the period from 1-4-70 to 31-3-71
(a) Average Number of copies printed *month-wise*, per publishing day from 1-4-70 to 31-3-71.													
(b) Average number of copies sold, *month-wise* per publishing day from 1-4-70 to 31-3-71.													
(c) Average number of copies distributed free, *month-wise*, per publishing day (Including complimentary, voucher, exchange, bonns, sample and office copies) from 1-4-70 to 31-3-71.													
(d) Average number of month-wise unsold returs and other copies printed but not included in (b) & (c).													

(e) Average size of the page month-wise, of the newspaper/periodical in sq. inches from 1-4-70 to 31-3-71.

(f) Average number of pages, month-wise, of the newspaper/peridical per publishing day from 1-4-70 to 31-3-71.

(g) Actual number of publishing days, month-wise from 1-4-70 to 31-3-71.

Signature of Publisher.....

Date.....

CERTIFICATE BY CHARTERED ACCOUNTANT

I/We have examined the books and account of published from
(Name of the paper (Language & Periodicity).
.....for the period from 1-4-1970 to 31-3-1971 and have obtained all the information and explana-
(Address). tions required b us. In my/our opinion, the statement set forth above reflects true and correct analysis of circulation, pages, pages size and number of publishing days for the period from 1-4-70 to 31-3-71 to the best of my/our information and belief and according to the explanation given to me/us as shown br the books of account, etc.

Date.....

Stamp of the Chartered Accountant.

Signature
(Name in Block letters.)

Chartered Accountant.
Registration No.
Address

N.B.—The Chartered Accountant's Certificate regardng average circulation per publishing day showing seperately the average number of copies printed, sold and distrib uted free, etc., number of pages and page area should be furnished, if month-wise average circulation exceeds 2,000 copies. If the month-wise average circulation is 2,000 co pies or below, particulars in the above annexure should be furnished under the signatures of the Publisher.

ANNEXURE III

Form of Chartered Accountant's certificate regarding consumption to be submitted for art paper

(To be typed on the letter head of the Chartered Accountant)

We/I.....the registered Chartered Accountant of (Registration No(s)

(Full address).....do hereby solemnly declare have examined the books and records of M/s.....for the period from..... to.....for consumption.....(name of commodity) and to certify that to the best of our/my information and belief and according to explanation given to us/me that their consumption of imported and indigenous (commodity) during the said period was as follows:—

Name of commodity	*Imported* Quantity/value (in Rupees)	*Indigenous* Quantity/value (in Rupees)

Signature.....
(Name in block letters)
Registration No.
Address.

Date.
Stamp of the
Chartered Accountant(s).

ANNEXURE IV

NOTE:—The following particulars are required to be furnished in the case of new dailies and periodicals. Existing newspapers and periodicals which did not obtain clearance for the use of newsprint or licence/authorisation in 1970-71 will be treated in the same manner as new periodicals.

(i) Name of the publication
(ii) Address of the publication.
(iii) Language.
(iv) Periodicity*
(v) Price per copy.
(vi) size of the page:

Length (.....) (in inches)
Width (.....) (in inches)
Page-area (.....) (in sq. inches)

(vii) Average number of pages per copy.

(viii) If the publication has not yet commenced publication ;

(a) the proposod date of publication:

(b) the proposed circulation :
copies to be sold.....

copies to be distributed free etc.....

(c) date on which declaration filed alongwith other particulars.

(ix) If the publication has already commenced publication;

(a) the date of commencement;

(b) the average circulation per publishing day during the first three months of publication if the paper has commenced publication after 31-12-1970.

OR

average circulation per publishing day in 1970-71 if the paper has commenced publication before 1-1-1971.

Average number of copies printed;

Averge number of copies sold:—

Average number of copies distributed free, etc.

Number of issues published during the year.

(A chartered Accountant's Certificate regarding average circulation per publishing day showing separately the average number of copies printed, sold and distributed free, etc., number of pages and particulars should also be furnished if the average circulation exceeds 2,000 copies).

(x)(a) Is the publication registered under the Press & Registration of books Act?

(b) If the reply to (a) above is in the affirmative, Registration number allotted by the Registrar of Newspapers for India.

(xi) (a) Name(s) and address(es) of the owner(s) and director(s) and partner(s) etc.

(b) Is/Are the owner(s), Partner(s) and director(s) or any one of them already associated with the publication of any existing newspaper(s) or periodical(s)?

(c) If the reply to (b) above is in the affirmative, name(s) of owner(s), etc. and the name(s) and address(es) of the newspaper(s) etc. with which they are connected:

Name(s) of the Owner(s) etc.	Newspaper(s) with which connected.			
	Name	Language	Priodicity	Place of Publication
1				
2				
3				

(xii) Nature ofcontents of the existing paper or proposed paper.

(xiii) Name of the paper(s) with whom the existing newspaper has been associated at present, or in** the last five years, or if any of his members of Family are associated or have been associated during the last five years.

Signature of publisher.

* In the case of daily, whether published on all the seven days of a week or less.

**Family for this purpose would include 'Father', 'Mother', 'Brother', 'Sister' 'Son', 'Daughter and 'wife'.

ANNEXURE V

Statement showing the newsprint consumed from 1-4-70 to 31-3-71 for newspapers/Periodicals.

S. No.	Name of the paper	Newsprint consumed in metric tons.					Remarks
		Glazed	Standard	Nepa	PWP	Total	
Dailies.							
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
Peridicals							
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							

P. K. SAMAL,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1971

विषय :—वर्ष अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 के लिए क्रम संख्या 44/पांच—अखबारी कागज-मुद्रण तथा लिखने के लिए कागज (लेड मार्क कागज को छोड़ कर) जिसमें यांत्रिक काष्ठ लुगदी अन्तर्विष्ट है जो तांतुक अंशों के 70 प्रतिशत की मात्रा से कम नहीं है, के लिए आयात नीति।

सं० 36—आई०टी०सी० (पी०एन०) '71.—वर्ष अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 के लिए अखबारी कागज (क्रम संख्या 44/पांच) के लिए आयात नीति इस सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध 1 से 5 में दी गई है और यह 1 अप्रैल, 1971 से लागू होगी।

अनुबन्ध

आयात व्यापार नियंत्रण अनसूची की क्रम संख्या और भाग	ब्यौरा	लाइसेंस प्राधिकारी	संस्थापित आयातकों के लिए नीति	लाइसेंस की वैधता	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
44/पांच	सफेद अखबारी कागज (लेड मार्क कागज को छोड़ कर) जिसमें यंत्रिक काष्ट लुगदी अन्तर्विष्ट है जो तांतुक अंश की 70 प्रतिशत की मात्रा से कम नहीं है।	मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात का कार्यालय	कोई नहीं	12 मास	1. अखबारी कागज के लिए जारी किए गए लाइसेंस जल-रेखीय अखबारी कागज के आयात के लिए भी वैध होगा, बशर्ते कि इस में तांतुक अंश की 70 प्रतिशत की मात्रा से यांत्रिक काष्ट लुगदी कम न हो और प्रति वर्ग मीटर उसका

1	2	3	4	5	6
					वजन 51—52+ 4 से कम न हो।
					2. अखबारों और पत्रिकाओं के प्रकाशकों और/या मुद्रकों के लिए वास्तविक उपभोक्ता।
					3. प्रकाशकों और/या अखबारों और पत्रिकाओं के मुद्रकों द्वारा अखबारी कागज और आर्ट पेपर के लिए 'बी' प्रपत्र के रूप में वास्तविक उपभोक्ता आवेदन पत्र दो प्रतियों में तथा हर प्रकार भरे हुए रूप में भारत के लिए समाचार पत्रों के पंजीयक, सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्रालय, नई दिल्ली के माध्यम से जमा किए जाने चाहिए।
					4. अखबारी कागज और आर्ट पेपर के आयात लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र भारत के लिए समाचारपत्रों के पंजीयक नई दिल्ली के पास यथा शीघ्र पहुंच जाने चाहिए, किन्तु 1 सितम्बर, 1971 के बाद नहीं।

1	2	3	4	5	6
					5. अखबारी कागज के लिए व्यक्तिक समाचार पत्रों/पत्रिकाओं की मूल हकदारी का निश्चय भारत के लिए समाचार-पत्रों के पंजीयक, नई दिल्ली द्वारा 1970—1971 में वास्तविक प्रकाशित उनके औसत प्रकाशन, पृष्ठों की औसत संख्या तथा पृष्ठ के विस्तार के औसत के आधार पर या 1970-71 (देखिए जो सार्वजनिक सूचना संख्या 51-आई० टी० सी० (पी एन)/70, दिनांक 7 अप्रैल, 1970 में घोषित की गई थी) के लिए अखबारी कागज नियतन नीति की शर्तों के अनुसार स्वीकृत हकदरी तथा उक्त सार्वजनिक सूचना की टिप्पणी-सात की शर्तों के अनुसार स्वीकृत वृद्धि, चाहे जो भी इससे कम हो, के आधार पर किया जाएगा।
					6. अखबारी कागज की हकदारी की पूर्ति उपर्युक्त कंडिका-पांच की शर्तों के अनुसार आवेदकों के नाम में

1	2	3	4	5	6
					आयात लाइसेंस (सों) या प्राधिकरण (णों) को जारी कर निम्नलिखित तरीके से की जाएगी :—

वार्षिक हकदारी	आयातित अखबारी कागज के लिए स्वीकृत की जाने वाली मात्रा	नेपा मिलों के द्वारा तैयार किए गए देशी अखबारी कागज के लिए स्वीकृत की जाने वाली मात्रा	स्वतंत्र साधनों के लिए सीधे लाइसेंस के लिए प्राधिकृत की जाने वाली मात्रा	सूचीबद्ध आयातों के लिए प्राधिकृत की जाने वाली मात्रा
1	2	3	4	5
आवधिक अखबारी कागज तथा देशी अखबारी कागज				
दैनिक समाचार-पत्र (उसके रविवारीय प्रकाशनों के साथ)				
(क) 100 टन से कम	100 प्रतिशत	कुछ भी नहीं	100 प्रतिशत	कुछ भी नहीं
(ख) 100 टन या उससे ऊपर किन्तु 400 टन से कम।	100 प्रतिशत	कुछ भी नहीं	भारत के लिए समाचार-पत्रों के पंजीयक द्वारा निश्चय किया जाना है।	
(ग) 400 टन या उससे ऊपर किन्तु 1000 टन से कम	90 प्रतिशत	10 प्रतिशत		
(घ) 1000 टन या उससे ऊपर, किन्तु 2000 टन से कम	85 प्रतिशत	15 प्रतिशत		
(ङ) 2000 टन और उससे ऊपर	80 प्रतिशत	20 प्रतिशत		

1	2	3	4	5
पत्रिकाएं				
(क) 100 टन से कम	100 प्रतिशत	कुछ भी नहीं	100 प्रतिशत	कुछ भी नहीं
(ख) 100 टन से ऊपर	100 प्रतिशत	कुछ भी नहीं	भारत के लिए समाचार-पत्रों के पंजीयक द्वारा निश्चय किया जाना है।	
चमकीले अखबारी कागज				
सारी हकदारी	100 प्रतिशत	कुछ भी नहीं	100 प्रतिशत	कुछ भी नही

टिप्पणी :—

1—स्वतंत्र संसाधनों से अनुज्ञप्त मानक अखबारी कागज का आयात भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० द्वारा विदेश स्थित विशिष्ट संभरकों के साथ की गई संविदा के विपरीत समाचार-पत्रों द्वारा करना पड़ेगा। जब संभरक 25.00 टन से कम हिस्से के आदेश को स्वीकार नहीं करते तो हकदारी के साथ समाचार-पत्रों को 25.00 टन से कम के लिए सीधे लाइसेंस की स्वीकृति दी जाएगी यदि वे आयातों की व्यवस्था एक संस्थापित आयातक के माध्यम से करते हैं तथा 'जे' प्रपत्र के रूप में विशेष रूप से उल्लेख कर देते हैं। अन्यथा, उन्हें भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० के साथ एक प्राधिकरण की स्वीकृति दी जाएगी।

2—(क) चमकीले/रोटोग्रेव्युर अखबारी कागज का नियतन 1970–71 के लिए उनके चमकीले/रोटोग्रेव्युर हकदारी की सीमा तक पत्रिकाओं के चमकीले कागज के उपयोक्ताओं के लिए किया जाएगा, उनकी शेष हकदारी का बंटन बिना चमकीले आयातित अखबारी कागज के लिए किया जाएगा। चमकीले/रोटोग्रेव्युर अखबारी कागज का आबंटन ऐसी पत्रिकाओं के लिए भी किया जाएगा जिन्हें टिप्पणी-पांच में निश्चित किए गए के अनुसार 4 पृष्ठों के लिए, उनकी मूल हकदारी के अनुसार अतीत में चमकीले अखबारी कागज या आर्ट पेपर प्रदान नहीं किए गए थे।

(ख) रोटोग्रेव्युर का बंटन उन पत्रिकाओं के लिए पूरी हकदारी में किया जाएगा जो 55 ग्राम विधिष्टता का उपयोग कर रही है। वे पत्रिकाएं जो 60 ग्राम का उपयोग कर रही हैं, और उनकी कुल हकदारी 100 टन से कम है, उन्हें चमकीले के लिए पूरी हकदारी में बंटन किया जाएगा, अन्य चमकीले (60 ग्राम) और रोटोग्रेव्युर (55 ग्राम) के लिए बंटन समान मात्रा में किया जाएगा।

3—सभी श्रेणियों के लिए नियतन केवल रीलों में ही किया जाएगा। समाचार-पत्रों के लिए मानक अखबारी कागज के संबंध में 10 प्रतिशत की दर से रीलों का परिवर्तन शीटों में करने के लिए अतिरिक्त मात्रा की स्वीकृति हकदारी के साथ 25.00 टन तक दी जाएगी।

4—नेपा अखबारी कागज का अधिक मात्रा में नियतन सामान्तः 10.00 टन से कम नहीं किया जाएगा।

5—हकदारी के अनुसार अखबारी कागज का आबंटन जैसा निश्चित किया गया है, उसके अनुसार वह विदेशी मुद्रा या अखबारी कागज या उनमें किसी एक या दोनों की उपलब्धता के अधीन है। ऐसी स्थिति में, जब किसी एक या दोनों में कमी हो जाए, तो उसमें उपयुक्तता के साथ कमी कर दी जाएगी।

6—मानक अखबारी कागज और नेपा अखबारी कागज के लिए भी हकदारी का हिसाब 53 ग्राम वास्तविकता पर किया जाएगा। नेपा अखबारी कागज की हकदारी का अतिरिक्त 10 प्रतिशत जिसका इस प्रकार हिसाब लगाया गया, अधिक ग्राम की क्षति-पूर्ति के रूप में बंटित किया जाएगा।

7—उन आवेदन-पत्रों के संबंध में जो 1 सितम्बर, 1971 के बाद प्राप्त किए जाते हैं, उनकी हकदारी की कटौती निम्नलिखित प्रकार से की जाएगी :—

(i) 31-12-1971 तक प्राप्त किए गए आवेदन-पत्र . 10 प्रतिशत

(ii) 31-12-1971 के परे 31-3-1972 तक प्राप्त गए आवेदन पत्र 20 प्रतिशत

सात—वृद्धि

निम्नलिखित विधि से आवेदन-पत्र पर, दैनिक समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं को प्रकाशन में वृद्धि करने की स्वीकृति उस आधार पर दी जाएगी जो टिप्पणी (पांच) के अन्तर्गत मूल हकदारी निश्चित की गई है :—

(क) दैनिक समाचार-पत्र

(1) दैनिक समाचार-पत्र जिनका वितरण 15,000 प्रतियों तक है।	उनकी मूल हकदारी से अधिक की वृद्धि 20 प्रतिशत। इस वृद्धि की स्वीकृति आयातित अखबारी कागज में दी जाएगी।
(2) दैनिक समाचार-पत्र जिनका वितरण 15,000 प्रतियों से ज्यादा है और 30,000 प्रतियों तक है।	उनकी मुल हकदारी से अधिक की वृद्धि 17 प्रतिशत। इस वद्धि की स्वीकृति आयातित अखबारी कागज में दी जाएगी।
(3) दैनिक समाचार-पत्र जिनका वितरण 30,000 प्रतियों से अधिक है और 50,000 प्रतियों तक है।	उनकी मुल हकदारी से अधिक की वृद्धि 15 प्रतिशत। इस वृद्धि की स्वीकृति आयातित अखबारी कागज में दी जाएगी।
(4) दैनिक समाचार-पत्र जिनका वितरण 50,000 प्रतियों से अधिक है और 1,00,000 तक है।	उनकी मूल हकवारी से अधिक की वृद्धि 10 प्रतिशत/इस वृद्धि की स्वीकृति आयातित अखबारी कागज में दी जाएगी।
(5) दैनिक समाचार-पत्र जिनका वितरण 1,00,000 प्रतियों से अधिक है।	उनकी हकदारी से अधिक की वद्धि 5 प्रतिशत / आयातित अखबारी कागज में $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत की वृद्धि दी जाएगी और शेष $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत की वृधि नेपा अखबारी कागज में दी जाएगी।

(ख) पत्रिकाएं

(1) पत्रिकाएं जिनका वितरण 30,000 प्रतियों तक है।	उनकी मूल हकदारी से अधिक की वृद्धि 20 प्रतिशत। इस वृद्धि की स्वीकृति आयातित अखबारी कागज में दी जाएगी।
(2) पत्रिकाएं जिनका वितरण 30,000 प्रतियों से अधिक और 75,000 प्रतियों तक है।	उनकी मूल हकदारी से अधिक की वृद्धि 15 प्रतिशत। इस वृद्धि की स्वीकृति आयातित अखबारी कागज में दी जाएगी।

(3) पत्रिकाएं जिनका वितरण 75,000 प्रतियों से अधिक और 1,00,000 प्रतियों तक है।	उनकी मूल हकदारी से अधिक की वृद्धि 10 प्रतिशत। इस वृद्धि की स्वीकृति आयातित अखबारी कागज में दी जाएगी।
(4) पत्रिकाएं जिनका वितरण 1,00,000 प्रतियों से अधिक है।	उनकी मूल हकदारी से अधिक की वृद्धि 5 प्रतिशत। इस वृद्धि की स्वीकृति आयातित अखबारी कागज में दी जाएगी।

टिप्पणी :—

1— विशिष्ट अनुरोध पर, साप्ताहिक पत्रिकाओं के लिए पृष्ठ–वृद्धि की स्वीकृति उपर्युक्त (सात) (ख) के आधार पर उनके लिए स्वीकार्य वृद्धि के बदले 2 पृष्ठों की वृद्धि की स्वीकृति मानक आकार में 16 पृष्ठों तक मानक आकार में दी जाएगी। पृष्ठों की संख्या और आकार टिप्पणी (पांच) की शर्तों के अनुसार निश्चित की गई उनकी मूल हकदारी पर होगी।

2— चमकीले कागज के उपयोक्ता को पत्रिकाओं के लिए बिना चमकीले आयातित अखबारी कागज में वृद्धि की स्वीकृति दी जाएगी।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) में उल्लिखित वृद्धि के अतिरिक्त वर्तमान दैनिक समाचार–पत्रों और पत्रिकाओं की वृद्धि ही स्वीकृति दी जाएगी, यदि यहां तक कि ये वृद्धि स्वीकृत किए जाने पर भी उनकी हकदारी उस हकदारी से कम है जिसके लिए वे स्वीकार्य होंगे और यदि वें नीचे की टिप्पणी (नौ) के अन्तर्गत नये दैनिक /आवधिक रुप में भी समझे जाएं।

आठ—टिप्पणी आठ (सात) में उल्लिखित नियतन को छोड़ कर, अखबारो/पत्रिकाओं के परिचालन पृष्ठ की संख्या, पृष्ठ–क्षेत्र–फल तथा आवधिकता में वृद्धि के कारण, उन्हें टिप्पणी (पांच) में निर्धारित हकदारी से अधिक अखबारी कागज का बंटा नहीं किया जाएगा। लेकिन, लाइसेंस अवधि के लिए प्राधिकृत, अखबारी कागज की प्राधिकृत मात्रा के भीतर प्रत्येक अखबार पत्रिका को अपने स्वयं की आवश्यकता को पूरा करने हेतु परिचालन, पृष्ठ की संख्या तथा पृष्ठ–क्षेत्र–फल का समंजन करने की स्वतन्त्रता होगी। 'सामुहिक स्वामित्व एककों' को विभिन्न प्रकाशनों के बीच में, चाहे प्रकाशन उसी शीर्षक/नाम से क्यों न हो, एकक का प्राधिकृत किए गए कोटे को समंजन करने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी:—अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 की धारा (3) उपधारा (3) में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार अखबार/पत्रिका (एं) टिप्पणी (पांच) तथा (सात) के अन्तर्गत नियत मात्रा से अधिक अखबारी कागज का प्रयोग अथवा खपत नही करेगी।

नौ—(क) नई पत्रिकाओं और अखबारों के लिए अखबारी कागज की उपलब्धता के संबंध में निकासी।

नई दैनिक अखबारों तथा पत्रिकाओं के प्रकाशनों को चाहिए कि प्रकाशन शुरु करने से पूर्व भारत के समाचार–पत्रों के पंजीयक से अखबारी कागज की उपलब्धता से संबंधित निकासी प्राप्त करे। बंटन नीति के अंतर्गत निकासी के लिए आवेदन करते समय अनुबंध–(चार) में बताए गए के अनुसार जानकारी दीं जानी चाहिए।

(ख) **नई दैनिक पत्रिकाएं**

नई दैनिक पत्रिकाओं के प्रकाशन प्रारम्भ हो जाने पर प्रथम तीन मास के दौरान प्रति प्रकाशन दिन के लिए मानक आकार (393.75 वर्ग इंचों) के 8 पृष्ठों की 10,000 प्रतियों तक का औसत परिचालन कायम रखने के लिए प्रारम्भिक कोटे की स्वीकृति दी जाएगी। प्रथम तीन मास के लिए, राज्य व्यापार निगम के स्टाक में से आयातित अखबारी कागज बंटित किया जाएगा। तीन मास के नैयमिक प्रकाशन के पश्चात्, नई दैनिक पत्रिकाओं द्वारा, प्रथम तीन मास के दौरान, औसत प्राप्त परिचालन तथा औसत पृष्ठ-क्षेत्र-फल तथा मुद्रित किए गए पृष्ठों की संख्या के साक्ष्य (प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के अनुबंध-(दो) में दिए गए के अनुसार सनदी लेखा पाल के प्रमाण-पत्र के रूप में) भेजने की आवश्यकता होगी, और उनकी हकदारी, उनके प्रथम तीन मास के दौरान वास्तविक प्राप्त औसत परिचालन, वास्तविक मुद्रित पृष्ठ-क्षेत्र-फल को ध्यान में रखते हुए, किन्तु अधिक से अधिक 15,000 प्रतियों तथा मानक आकार में 8 पृष्ठों के अधीन ही नियत की जाएगी।

(ग) **नई साप्ताहिक, त्रै-साप्ताहिक, अर्ध-साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक पत्रिकाएं**

नई साप्ताहिक, त्रै-साप्ताहिक, अर्ध-साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक पत्रिकाओं के प्रकाशन के प्रारम्भ होने के पश्चात्, प्रथम तीन मास के दौरान प्रति प्रकाशन दिन के लिए मानक आकार (393.75 वर्ग इंचों) के 8 पृष्ठों की 10,000 प्रतियों तक के औसत परिचालन को कायम रखने के लिए प्रारम्भिक कोटे की स्वीकृति दी जाएगी। प्रथम तीन मास के लिए आयातित अखबारी कागज बंटित किया जाएगा। तीन मास के नैयमिक प्रकाशन के पश्चात्, नई साप्ताहिक, त्रै-साप्ताहिक, अर्ध-साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्रिकाओं द्वारा, प्रथम तीन मास के दौरान औसत प्राप्त परिचालन तथा औसत पृष्ठ-क्षेत्रफल तथा मुद्रित किए गए पृष्ठों की संख्या के साक्ष्य (प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध-(दो) में दिए गए के अनुसार सनदी लेखापाल के प्रमाण-पत्र के रूप में) भेजने की आवश्यकता होगा, और उनकी हकदारी, उनके प्रथम तीन मास के दौरान वास्तविक प्राप्त औसत परिचालन, वास्तविक मुद्रित पृष्ठ क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए किन्तु मासिक पत्रिकाओं और पाक्षिक पत्रिकाओं को छोड़ कर, जिन्हें अधिकतम 15,000 प्रतियां तथा मानक आकार के 16 पृष्ठों तक के लिए कोटे ही स्वीकृति दी जाएगी, अधिक से अधिक 15,000 प्रतियों तथा मानक आकार के 8 पृष्ठों के अधीन नियत की जाएगी।

(घ) **साप्ताहिक त्रै-साप्ताहिक, अर्ध-साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक पत्रिकाओं से भिन्न नई पत्रिकाएं।**

ऐसी पत्रिकाओं के लिए पहले तीन मास के लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं किया जाएगा। तीन मास के नियमित प्रकाशन के बाद, ऐसी पत्रिकाओं के प्रकाशकों को अनुबन्ध-(चार) में निहित जानकारी के साथ, और पत्रिकाओं का प्रथम तीन मास के दौरान प्राप्त औसत परिचालन तथा उनका पृष्ठ-क्षेत्रफल और छपे गए पृष्ठों की संख्या प्रदर्शित करते हुए सनदी लेखापाल से एक प्रमाणपत्र के साथ, वास्तविक उपयोक्ता प्रपत्र में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। नई पत्रिकाओं के लिए कोटे का आबंटन प्रथम तीन महीनों के दौरान उनके वास्तविक प्राप्त औसत परिचालन तथा पृष्ठों की औसत संख्या और वास्तव में छापे गए पृष्ठ-क्षेत्रफल के आधार पर अधिक से अधिक 15,000 प्रतियों और प्रत्येक के मानक साइज के 16 पृष्ठों के लिए शेष लाइसेंस अवधि के लिए किया जाएगा।

(ङ) वर्तमान समाचार-पत्र जिन्होंने 1970-71 में लाइसेंस/प्राधिकरण के कागज के उपयोग के लिए निकासी प्राप्त नहीं की थी, वे उपर्युक्त कंडिका (नौ) (क), (ख) तथा (ग) में यथा उल्लिखित उपचारित होंगे।

दस— किसी सामान्य स्वामित्व वाले एकक द्वारा प्रायोजित/अभिगृहीत अतिरिक्त समाचार-पत्र (पत्रों) के लिए कोई अखबारी कागज उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और न ही ऐसे एककों को अपने प्राधिकृत कोटे में से नये समाचारपत्र/पत्रिकाएं प्रकाशित करने की अनुमति दी जाएगी।

टिप्पणी:—इस सार्वजनिक सूचना के उद्देश्य के लिए 'सामान्य स्वामित्व वाले एकक' का अर्थ उस समाचारपत्र संस्थान या व्यापार संस्था से है जो कम से कम एक दैनिक सहित दो या इससे अधिक समाचार अधिरुचि वाले समाचार पत्रों के स्वामी हों। इस उद्देश्य के लिए ऐसे समाचारपत्रों के प्रकाशन के केन्द्र (केन्द्रों) तथा भाषा (भाषाओं) को ध्यान में नहीं रखा जाता।

ग्यारह—पत्रिकाओं की निम्नलिखित कोटियां अखबारी कागज के बंटन के लिए हकदार नहीं होंगी यद्यपि वे समाचार पत्रों के रुप में वर्गीकृत हैं :—

(ए) मुख्यतया सेवाओं के माल की बिक्री का संवर्धन करने के लिए छापे गए जर्नल;

(बी) व्यक्तियों/फर्मों/औद्योगिक संस्थाओं द्वारा प्रकाशित किये गए घरेलू जर्नल/मैगजीन;

(सी) मूल्य सूची तथा तालिकाएं;

(डी) मुफ्त वितरण के लिए प्रकाशन;

(ई) कथा साहित्य;

(एफ) अध्ययावन-प्रतियोगिता मार्गदर्शिनी;

(जी) स्कूल/कालिज मैगजीन; और

(एच) अध्यापन जर्नल/अध्यापन मार्गदर्शिनी।

बारह—यदि किसी समाचारपत्र/पत्रिका ने 1970-71 में इसकी मंजूर की गई वृद्धियां तथा मध्य अवधि चुनाव के कोटे सहित बंटित मात्रा का पूर्ण उपयोग नहीं किया था, तो बिना उपयोग की हुई मात्रा की 1971-72 के लिए इसकी हकदारी से समायोजित कर दिया जाएगा। 1970-71 में अखबारी कागज के उपयोग का निश्चय करने में भारत के समाचारपत्र पंजीयक को समर्थ बनाने के लिए प्रकाशन का विस्तृत ब्यौरा (मासिक) पृष्ठ संख्या, पृष्ठ-क्षेत्रफल तथा 1970-71 में प्रकाशन के दिनों की संख्या इस सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध-(दो) तथा (पांच) में दिये गए प्रपत्र में समाचारपत्रों/पत्रिकाओं द्वारा उसको प्रस्तुत करना चाहिए। 1970-71 में उपभोग की गणना इस अवधि में प्रकाशन के दिनों की वास्तविक संख्या के आधार पर की जाएगी। उपर्युक्त अनुबन्ध-(दो) में प्रस्तुत ब्यौरा सनदी लेखापाल द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। जहां समाचार पत्र/पत्रिका का परिचालन प्रति प्रकाशन दिन 2000 प्रतियों से कम हो वहां सनदी लेखापाल के प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं।

टिप्पणी:—निर्यात संवर्धन आदि के लिए योजनाओं के अन्तर्गत 1970-71 में किये गए बंटन को भी 1970-71 में समाचारपत्रों द्वारा बिना उपयोग की गई मात्रा का निश्चय करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

तेरह—मुफ्त वितरित प्रतियों की संख्या, अधिकृत प्रतियां या कोई अन्य मुद्रित प्रतियां जो न तो बिकी हैं और न मुफ्त वितरित हुई हैं, अखबारी कागज के बंटन/उपभोग के उद्देश्य के लिए ध्यान में रखी जाएंगी बशर्ते कि ये प्रतियां मुद्रण आदेश की समुचित प्रतिशतता का प्रतिनिधित्व करती हों और निम्नलिखित सीमाओं से किसी भी प्रकार अधिक न हों :—

परिचालन	दैनिक, त्रै–साप्ताहिक तथा अर्ध–साप्ताहिक	साप्ताहिक तथा पाक्षिक	मासिक, त्रैमासिक तथा अन्य
2500 तक	10 प्रतिशत	20 प्रतिशत	25 प्रतिशत
2,500 से 5,000 के बीच	10 प्रतिशत	15 प्रतिशत	20 प्रतिशत
5,000 से 10,000 के बीच	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत	15 प्रतिशत
10,000 से अधिक	5 प्रतिशत	5 प्रतिशत	10 प्रतिशत

चौदह—यदि समाचारपत्रों/पत्रिकाओं ने पुस्तक मुद्रण तथा पंजीयन अधिनियम, 1867 के भाग (दो) (बी) जिसको समाचारपत्र (केन्द्रीय) पंजीयन नियमों, 1956 के नियम 5 के साथ पढ़ा जाए, में यथाअपेक्षित 1970–71 वर्ष में प्रकाशित किये जाने वाले अपने प्रकाशनों की प्रतियों की पूर्ति नहीं की तो परिगणित उपभोग, देखिए उपर्युक्त टिप्पणी (बारह), निम्नलिखित रूप में कटौती के अधीन होगा :—

यदि नियमितता 50 प्रतिशत से अधिक और 75 प्रतिशत से कम हो	25 प्रतिशत
यदि नियमितता 25 प्रतिशत से अधिक और 50 प्रतिशत से कम हो	50 प्रतिशत

जिस समाचारपत्र की नियमितता 25 प्रतिशत से कम होगी उसके लिए साधारणतया कोटा मुक्त नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी :—समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के प्रकाशक अखबारी कागज के कोटे के बंटन में विलम्ब का परिहार करने के लिए अप्रैल, 1970–मार्च, 1971 अवधि के लिए या तो संबद्ध डी० आई० बी० कार्यालय से या शिमला में आर० एन० आई० के कार्यालय (जैसा भी मामला हो) से प्राप्त नियमितता प्रमाणपत्र (मूल रूप में) अपने औपचारिक वास्तविक उपयोक्ता आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं।

पन्द्रह—लघु समाचारपत्र जिन की अखबारी कागज के लिए हकदारी है और जो प्रतिवर्ष 40 टन से कम अखबारी कागज के लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं उन्हें आयात लाइसेंस आवेदन–पत्र शुल्क का भुगतान करने से और आयकर सत्यापन संख्या प्रस्तुत करने से छूट होगी। इस छूट में आर्ट कागज कोटे के लिए आवेदन-पत्र शामिल नहीं होंगे।

सोलह—यदि कोई वास्तविक उपयोक्ता उसको जारी किये गए लाइसेंस के प्रति अखबारी कागज या आर्ट पेपर का आयात करने की स्थिति में नहीं है तो वह जिस पार्टी के माध्यम से आयात करना चाहता है, उसके लिए प्राधिकार पत्र जारी करवाने के लिए आवेदन कर सकता है बशर्ते कि उस पार्टी के पास अखबारी कागज के लिए कोटा प्रमाण–पत्र हो अथवा विदेशी संभरकों का एकमात्र अभिकर्त्ता हो।

सत्रह—आर्ट पेपर

(ए) आवरण पृष्ठों और/या भीतरी पृष्ठों के लिए आर्ट पेपर के लिए लाइसेंस केवल उन्हीं पत्रिकाओं को जारी किए जाएंगे जिन को 1970–71 में आवरण पृष्ठों और/या भीतरी पृष्ठों के लिए आर्ट पेपर के लिए लाइसेंस प्रदान किये गए थे।

(बी) यदि अखबारी कागज पर मुद्रित पत्रिकाओं के आवरण पृष्ठों के लिए आर्ट पेपर के लिए लाइसेंस प्राप्त है तो प्रति-प्रकाशन-दिन में 100 पृष्ठ तक की पत्रिकाओं के के लिए ग्रामों की संख्या प्रति वर्ग मीटर 100 ग्राम से अधिक नहीं होगी और जिन का प्रकाशन प्रति दिन 100 पृष्ठ से अधिक है, उनके लिए ग्रामों की संख्या प्रति वर्ग मीटर 135 ग्राम से अधिक नहीं होगी। पूर्ण रुपेण आर्ट पेपर पर मुद्रित पत्रिकाओं के आवरण पृष्ठों के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर अधिक ग्रामों की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए भारत के लिए समाचारपत्रों के पंजीयक का निर्णय अंतिम होगा।

(सी) आवरण पृष्ठों और/या भीतरी पष्ठों में उपयोग होने वाले आर्ट पेपर के लिए हकदारी की गणना आर्ट पेपर पर छापे गए आवरण पृष्ठों और/या भीतरी पृष्ठों और 1970–71 के दौरान औसत परिचालन की संख्या के आधार पर की जाएगी। यह हकदारी आवंटित तथा देशी आर्ट पेपर के लिए 1970–71 में किए गए अधिकतम बंटन के अधीन होगी। इस सार्वजानिक सूचना के अनुबन्ध–(दो) में दिये गए प्रपत्र में सनदी लेखापाल के अतिरिक्त इस सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध–(तीन) में दिये गए प्रपत्र में सनदी लेखापाल से प्राप्त एक और प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

अट्ठारह—आर्ट पेपर के लिए लाइसेंस अप्रैल, 1971–मार्च, 1972 वर्ष की रेड बुक में वार्षिक लाइसेन्सों के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन वार्षिक आधार पर जारी किए जाएंगे। चमकदार तथा मानक अखबारी कागज के लिए भी वार्षिक आधार पर लाइसेन्स जारी किये जाएंगे। परन्तु ये लाइसेन्स इस शर्त के अधीन होंगे कि 30 सितम्बर, 1971 तक इन का उपयोग अपनी मात्रा तथा मूल्य के केवल 50 प्रतिशत तक किया जा सकता है। वास्तविक उपयोक्ता के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह शेष 50 प्रतिशत के उपयोग नहीं किए जाने के संबंध में चमकदार तथा मानक अखबारी कागज के लाइसेन्सों को पृष्ठांकन के लिए वापस करे। मूल्य की शर्तों के अनुसार 20,000 रुपये तक की वार्षिक हकदारी के लिए चमकदार तथा मानक अखबारी कागज के लिए जारी किये गए लाइसेन्स इन की वैधता अवधि के भीतर किसी भी समय एक बार में उपयोग किये जा सकते हैं और ये 30 सितम्बर, 1971 तक केवल 50 प्रतिशत के उपयोग सम्बन्धी शर्त के अधीन नहीं होंगे।

उन्नीस—इस सार्वजानिक सूचना के उद्देश्य के लिए भारत के लिए समाचार-पत्रों का पंजीयक जैसा आवश्यक समझें ऐसे सीमान्त समायोजन कर सकता है।

अनुबन्ध 2

अप्रैल 1970–मार्च 1971 अवधि के लिए वितरण इत्यादि के सम्बन्ध मे सनदी लेखापाल के प्रमाणपत्र का प्रारूप ।

(सनदी लेखा पाल के सरनामा पर टंकित किया जाना है)

1. अखबार/पत्रिका का नाम
2. प्रकाशन का स्थान
3. भाषा
4. आवधिकता

	अप्रैल 1970	मई 1970	जून 1970	जुलाई 1970	अगस्त 1970	सितम्बर 1970	अक्तूबर 1970	नवम्बर 1970	दिसम्बर 1970	जनवरी 1971	फरवरी 1971	मार्च 1971	1-4-1970 से 31-3-1971 तक की अवधि के लिए औसत
(क) 1-4-1970 से 31-3-1971 तक प्रति प्रकाशन दिन के हिसाब से माहवारी छापी गई प्रतियों की औसत सं०													
(ख) 1-4-1970 से 31-3-1971 तक प्रति प्रकाशन दिन के हिसाब से माहवारी बेची गई प्रतियों की औसत संख्या													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(ग) 1-4-1970 से 31-3-1971 तक प्रति प्रकाशन दिन के हिसाब से माहवार मुफ्त बांटी गई प्रतियों की औसत संख्या (जिसमें सम्पूरक, साधिका नमुने तथा कार्यालय प्रतियां भी शामिल हैं) ।													
(घ) न बेची गई तथा अन्य छापी गई प्रतियों की माहवार औसत संख्या का विवरण किन्तु वे (ख) तथा (ग) में शामिल नहीं हैं ।													
(ङ) 1-4-1970 से 31-3-1971 तक की अवधि के दौरान अखबार/पत्रिका के पृष्ट का वर्ग इंचों में औसत साइज का माहवारी विवरण ।													

(च) 1-4-1970 से 31-3-1971 तक प्रति प्रकाशन दिन के हिसाब से अखबार/पत्रिका के पृष्टों की औसत सं० का माहवार विवरण ।

(छ) 1-4-1970 से 31-3-1971 तक माहवार वास्तविक प्रकाशन दिनों की संख्या

प्रकाशक के हस्ताक्षर.....

दिनांक

सनदी लेखापाल द्वारा प्रमाण-पत्र

मैं/हमने.....की पुस्तकों तथा लेख का जो 1-4-1970 से 31-3-1971 तक की अवधि

[अखबार का नाम (भाषा तथा आवधिकता]

के दौरान.....से प्रकाशित की गई थी, निरीक्षण कर लिया है और हमारे द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं तथा विवरण प्राप्त कर लिए

(पता)

गए हैं । मेरे/हमारे विचार में 1–4–1970 से 31–3–1971 तक की अवधि के लिए उपर्युक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी तथा विश्वास तथा लेख की पुस्तकों में दिखाए गए तथा मुझे/हमे दिए गए विवरण के अनुसार वितरण, पृष्ठों, आकार तथा प्रकाशन के दिनों की संख्या का सही विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं ।

हस्ताक्षर.....

(नाम साफ साफ अक्षरों मे लिखें)

सनदी लेखापाल

दिनांक.....

पजीकरण संख्या

सनदी लेखापाल की मुहर

पता

टिप्पणी :—यदि माहवारी औसत परिचालन 2000 प्रतियों से अधिक होता है तो अलग से प्रत्येक प्रकाशन दिन के हिसाब से औसत प्रकाशित प्रतियों की सख्या, बची गई, मुफ्त बाटी गई प्रतियों इत्यादि को दर्शाते हुए सनदी लेखापाल का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए । यदि माहवारी परिचालन सख्या 2000 प्रतियों अथवा इससे कम है तो उपर्युक्त अनुबन्ध में विवरण देकर उसे प्रकाशक के हस्ताक्षर के अन्तर्गत भेजा जाना चाहिए ।

अनुबन्ध 3

आर्ट पेपर की खपत के संबन्ध में भेजे जाने वाले सनदी लेखापाल के प्रमाण पत्र का प्रारूप

(सनदी लेखापाल के सरनामा पर टंकित किया जाना है)

हम/मैं.....

(पंजीयन संख्या (एं) (पूरा पता)

के पंजीकृत सनदी लेखापाल एतदद्वारा घोषणा करते हैं कि.....

की अवधि से.....तक की अवधि के लिए सर्व श्री.....

की.....की खपत के लिए पुस्तकों तथा रिकार्ड का निरीक्षण कर चुके

(पणवस्तु का नाम)

हैं और प्रमाणित करते हैं कि हमारी/मेरी जानकारी तथा विश्वास तथा हमें/मुझे दिए गए विवरण के अनुसार उनकी आयातित तथा देशी (पणवस्तु) की खपत उक्त अवधि के दौरान निम्न प्रकार थी :—

	आयातित		देशी	
पणवस्तु का नाम	(मात्रा)	मूल्य (रुपये में)	(मात्रा)	मूल्य (रुपये में)

हस्ताक्षर.....

(नाम साफ साफ अक्षरों में)

दिनांक..... पंजीयन संख्या.....

सनदी लेखापाल (लें) की मुहर पता

अनुबन्ध 4

टिप्पणी :—निम्नलिखित विवरण को नई दैनिक समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं के मामले में भेजे जाने की आवश्यकता है । वर्तमान अखबार और पत्रिकाएं जिन्होंने 1970—71 में अखबारी कागज के या लाइसेंस/प्राधिकरण के उपयोग के लिए निकासी प्राप्त नहीं की थी, उन्हें नई पत्रिकाओं के रूप में ही लिया जाएगा ।

1. प्रकाशन का नाम
2. प्रकाशन का स्थान
3. भाषा
4. आवधिकता*
5. एक प्रति की कीमत
6. पृष्ठ का साइज :—

लम्बाई (.....) (इंचों में)

चौड़ाई (.....) (इंचों में)

पृष्ट-क्षेत्र फल (.....) (वर्ग इंचों में)

7. प्रत्येक प्रति की औसत पृ ट संख्या

8. यदि प्रकाशन अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है, तो

(क) प्रकाशन की प्रस्तावित तिथि

(ख) प्रस्तावित परिचालन :—
प्रतियां बची जानी हैं.....
मुफ्त बांटी जाने वाली प्रतियां इत्यादि.....

(ग) अन्य ब्यौरों के साथ जब घोषणा पत्र दाखिल किया गया था, उसकी तिथि ।

9. यदि प्रकाशन पहले ही प्रकाशित होना शुरू हो गया है, तो

(क) शुरु होने की तिथि

(ख) यदि अखबार का प्रकाशन 31-12-1970 के बाद शुरु हुआ है, तो प्रथम तीन महीनों के प्रकाशन के दौरान प्रत्येक प्रकाशन दिन के हिसाब से औसत परिचालन

अथवा

यदि अखबार का प्रकाशन 1-1-1971 से पूर्व शुरु हो गया है, तो 1970-71 में प्रति प्रकाशन दिन के हिसाब से औसत परिचालन ।

मुद्रित की गई प्रतियों की औसत संख्या;

बची गई प्रतियों की औसत संख्या;

मुफ्त बांटी गई प्रतियों की औसत संख्या;

वर्ष के दौरान प्रकाशित अंकों की संख्या;

(यदि औसत परिचालन 2000 प्रतियों से अधिक होता है, तो अलग से, प्रति प्रकाशन दिन के हिसाब से औसत मुद्रित प्रतियों की संख्या, बची गई, मुफ्त बांटी गई प्रतियों की संख्या को दर्शाते हुए सनदी लेखापाल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए)।

10. (क) क्या प्रकाशन मुद्रणालय तथा पुस्तकों के पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है ?

(ख) यदि उपर्युक्त (क) के लिए उत्तर हां है, तो भारत के लिए समाचार-पत्रों के पंजीयक द्वारा नियत की गई पंजीयन संख्या ।

11. (क) स्वामी(यों) तथा विदेशक(कों) तथा भागीदार(रों) इत्यादि के नाम तथा पता(ते);

(ख) क्या स्वामी(यों) भागीदार(रों) तथा निदेशक(कों) अथवा इनमें से कोई भी पहले से ही वर्तमान अखबार(रों) अथवा पत्रिका(ओं) से संबद्ध है/हैं ?

(ग) यदि उपर्युक्त (ख) के लिए उत्तर हां है, तो स्वामी(यों) आदि के नाम तथा वे जिन अखबार(रों) से संबन्धित है उनके नाम तथा पता(ते) :—

स्वामी(यों) आदि के नाम	अखबार(रों) जिसके साथ संबन्धित हैं			
	नाम	भाषा	आवधिकता	प्रकाशन —स्थान
1—				
2—				
3—				

12. वर्तमान अथवा प्रस्तावित अखबार के विषय का स्वरूप ।

13. वर्तमान समय में अथवा गत 5 वर्षों में जिस अखबार के साथ वर्तमान अखबार को सम्बन्धित किया गया है, अथवा उसके परिवार का कोई भी सदस्य सम्बन्धित है, अथवा गत 5 वर्षों के दौरान सम्बन्धित रह चुका है, उस अखबार का नाम ।

प्रकाशक के हस्ताक्षर

* दैनिक अखबारों के मामले में, क्या सप्ताह के सभी सातों दिनों को अथवा उससे कम दिनों को प्रकाशित किए गए ।

इस सम्बन्ध में, परिवार में 'पिता' 'माता' 'भाई' 'बहन' 'पुत्र' 'पुत्री' तथा 'पत्नी' को शामिल किया जाएगा ।

अनुबंध 5

1-4-1970 से 31-3-1971 तक की अवधि के दौरान अखबारों/पत्रिकाओं के लिए उपयोग किए गए अखबारी कागज को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	पत्र का नाम	उपयोग किए गए अखबारी कागज मैट्रिक टन में			टिप्पणी
		चमकीले	मानक	नेपा पी डब्ल्यू पी	कुल
दैनिक पत्र					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
आवधिक पत्रिका					
1					
2					
3					
4					
5					
6					

पी० के० समाल

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971